अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम केशरराम पुत्र रामजीलाल

किस्म मुकदमा धारा दावा 177

मुकदमा न0 380 / 2021
दिनांक 25.03.2022

आदेश

प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। बहस सुनी गई। मनन किया गया। अतः भूमि खेत ख0न0 1628 / 1283 रकबा 0.10 है0 स्थित ग्राम पिलानी तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने सम्बन्धित नगरपालिका में कनवर्जन के लिए आवेदन कर रखा है जिसकी प्रति पेश की एवं बताया की वह कनवर्जन करवाना चाहता है अतः वाद वादीगण तहसीलदार सूरजगढ़ को 90ए आरटी एक्ट के तहत अप्रार्थीगण को समुचित अवसर देते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। यदि प्रतिवादी 90 दिवस में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत सम्परिवर्तन आदेश पेश नही करता है तो भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ अप्रार्थीगण के विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़